हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
......13.9.19......को पेश हो।

13/9/19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय
हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
......14/10/19..को पेश हो।

14.10.19 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं.1-2 की पुन: नकल पेश करे। अप्रार्थी नं. 4 को आवाजें लगवाई गई बावजूद सूचना हाजिर नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते नकल दिनांक 4.12.19 को पेश हो।

04.12.19 वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी नं. 1 ता 2 बावजूद सूचना हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय की जाती है। वास्ते बहस दिनांक 18/12/19 को पेश हो।

18.12.19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय
हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
......20.12.19......को पेश हो।

20.12.19 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस समाप्त की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.12.19 को पेश हो।

30.12.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
वकील प्रार्थीगण के कथन की प्रार्थना पत्र की मद संख्या में अंकित रकबा चक 15 SHPD के खाता संख्या 36/45 में 5.7490 हे० रकबा में अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1.226 हे० रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड उक्त खाते में चला आ रहा है। जिसमें से उन्होंने 0.4200 हे० रकबा आगे बेचान कर दिया

फर्द अहकाम प्रकरण सं. 41/2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	उमा बानो व/ओ सत्तार खां व अन्य 212 LTA	
	है जिसका अंकन जमाबंदी में किया गया है। उक्त रकबा प्रार्थिया के दादा गुलाम कादर s/o फाज मोहम्मद के नाम से अप्रार्थी नं. 1 को विरासत में प्राप्त होने से पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि होने से पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या-1 को पैतृक भूमि पैतृक रकबा प्राप्त है। उक्त भूमि प्रार्थिया के दादा की भूमि होने से प्रार्थिया का जन्म से ही हक होने से अपने पिता के जीवनकाल में ही अपना हक बोशिष्ठ ... का कायम हक है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी नं. 1 को प्रार्थिया के दादा से 1.226 हे० रकबा विरासत में आया था। उक्त रकबा में प्रार्थिया का पिता अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थिया स्वयं व प्रार्थिया का भाई अप्रार्थी नं. 2 कुल 3 हिस्सेदार है। इसलिए 1.226 हे० में प्रत्येक का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थिया का 1.226 हे० भूमि में 1/3 हिस्सा में 1.226 हे० में से 0.4086 हे० हिस्सा बनता है एवं उक्त रकबा पर प्रार्थिया शामिल रूप से कब्जा काश्त करती है। उक्त रकबा प्रार्थिया के नाम नहीं होने से भूमि सुधार ... सके। इस आर्थिक सहायता लेने में कठिनाई हो रही है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थिया को धमकी दी है कि वह उक्त भूमि बेचान कर देगे। जिससे प्रार्थिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अतः अप्रार्थी नं. 1 को धारा 2 में वर्णित भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम की 1.226 हे० रकबा को रहन बेचान आदि हस्तान्तरण नहीं करें तथा ... व तौर भी ... करे। प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी नं. 1 व 2 अनवरत तलबी के बावजूद हाजिर न आने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। [signature]	

फर्द अहकाम

मुका बागे 4LJ तहसील खां व अनु—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 212 R.T.A.
	वकील प्रार्थिया की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान बहस अप्रार्थी नं. 1 को अपने पिता गुलाब खान S/o खान मोहम्मद को प्राप्त होना बताया है। जिस कारण उक्त भूमि पैतृक होना बताया है इसलिये उक्त रकबा पैतृक होने से प्रार्थिया का जन्म से हक व हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त पैतृक रकबा किसी अन्य को बेचान या अन्य तरीके हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थिया को न पूरा होने वाला नुकसान होना तय है। अतः प्रार्थना 212 LTA स्वीकार कर अप्रार्थी नं. 1 को पाबंद किया जाता है कि वह चक 15 SHPD के खाता सं० 36/41 के नियामत अली वगैरह के पत्थर नं० 103/361 (66) किला नं० 22-23-24 सालम का 0.790 है० कमांड व पत्थर नं० 103/362 मुरब्बा नं० 76 के किला नं० 1 ता 20 व 4.9600 है० कमांड कुल 5.7190 है० कमांड में से अप्रार्थी नं० 1 के नाम 1.226 है० रकबा में से प्रार्थिया के हिस्सा की 1/3 हिस्सा को रहन, बेचान आदि हस्तान्तरण नहीं करें तथा रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखें अगले आदेश तक। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 13:22:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: